


राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1058 पार्ट)/2018/ दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म.स्वा.का./ (1058)/15/752 दिनांक 05.08.2015 द्वारा श्रीमती अमृत कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के बिन्दु संख्या 03 पर अंकित अवैतनिक अवकाश में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 11.03.2017 से 05.11.2017 के स्थान पर दिनांक 11.03.2017 से 10.05.2017 तक 61 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

निदेशालय के आदेश दिनांक 05.08.2015 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 01/06/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1058 पार्ट)/2018/1117

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन (अजमेर)।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, रामगंज, अजमेर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर